राज्य शिक्षा केन्द्र,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश

NATIONAL CENTRE FOR SCHOOL LEADERSHIP
NCSL
Every Child Learns
Every School Excels

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश स्टेट लीडरशिप अकादमी, एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल
राज्य शिक्षा केन्द्र,
पुस्तक भवन बी-विंग अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) – 462011
दूरभाष : (0755) 2552368

मॉड्यूल क्रमांक – 3

शीर्षक - सीखने – सिखाने में भाषागत विविधता की चुनौतियों के बीच प्रधानाध्यापक का नेतृत्व – मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में

मॉड्यूल का क्षेत्र – सीखने – सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव

मॉड्यूल के उद्देश्य -

1. सीखने – सिखाने की प्रक्रिया में भाषाई विविधता संबंधी चुनौतियों की पहचान करना |
2. भाषागत विविधिता में शिक्षण के दौरान उपलब्ध अवसरों की पहचान करना |

कीवर्ड –

भाषागत विविधता, सीखना - सिखाना, भाषा, विद्यालय, शिक्षक, अध्यापक, संसाधन

प्रस्तावना -

शिक्षाविद कृष्ण कुमार जी ने अपनी किताब, बच्चों की भाषा और अध्यापक में लिखा है कि, "दुनिया का हर बच्चा चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी हो, भाषा का इस्तेमाल कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है | एक बड़ा उद्देश्य है दुनिया को समझना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा एक बढ़िया औजार का काम करती है | जब तक हम बच्चे की निगाह से देखने और बच्चे की जिन्दगी में भाषा की भूमिका को समझने में असमर्थ रहते हैं,

तब तक अध्यापक, माता – पिता या देख – रेख करने वालों के रूप में अपनी भूमिका को ठीक से तय नहीं कर सकते |"

सामान्यतः विश्व में लगभग पाँच हजार भाषाएँ बोली जाती हैं और उनमें से करीब एक तिहाई भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं | इसका मतलब यह हुआ कि भाषागत विविधता भारत को भाषाई रूप से समृद्ध बनाती है | भाषाई विविधता होने के बाद भी हम इसे किसी समस्या या पिछड़ेपन की निशानी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि यह हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है और हमारी सांस्कृतिक सम्पन्नता को दर्शाता है |

भाषागत विविधता इस अर्थ में भी एक संसाधन के रूप में काम करती है कि यह व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को विकसित और वृहद् बनाने में भी मदद करती हैं | अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस भी व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएँ आती है वे निःसंदेह भाषा में, अभिव्यक्ति में, लेखन में प्रवीण तो होते ही हैं साथ ही, समाज, परम्पराओं, रूढ़ियों, सामाजिक समस्याओं और मुद्दों के प्रति उनका अपना नजरिया भी स्पष्ट एवं उदार होता है | उनमें तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने की क्षमता होती है |

भारत के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य मध्यप्रदेश में भी भाषागत विविधता देखने को मिलती है | यहाँ का 28.4 प्रतिशत हिस्सा (313 विकासखंडों में से 89 विकासखंड आदिवासी विकासखंड हैं |) इसी तरह की भाषागत विविधता से संपन्न है जहाँ भीली, कोरकू और गोंडी भाषा बोली जाती है | जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 153.16 लाख है जो कि राज्य की कुल जनसँख्या का 21.10 प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर पाँचवा व्यक्ति आदिवासी / अनुसूचित जनजाति वर्ग का है |

इसलिये मध्यप्रदेश में भाषागत विविधता को किसी समस्या के रूप में न देखकर एक संपदा के रूप में देखा जाता है | इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हम सभी शिक्षक हैं और निश्चित ही हम सभी अलग – अलग भौगोलिक क्षेत्र में पदस्थ होंगे | हममें से कोई किसी गाँव के विद्यालय में पढ़ाते हैं तो शहर के और निश्चित ही हमारी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो एक से अधिक भाषाएँ जानते और बोलते होंगे | उदाहरण के तौर पर यदि आप मध्यप्रदेश राज्य के खरगोन जिले में पढ़ाते हैं तो आपका कोई विद्यार्थी अपने माता – पिता से घर में बैगा में, अपने दोस्तों से निमाड़ी में और कक्षा में हिंदी बोलेगा क्योंकि उसकी मातृभाषा बैगा होगी | परन्तु जिस समाज में वह रहता है उसकी भाषा निमाड़ी और शिक्षण का माध्यम हिंदी है |

इसी तरह यदि कोई शिक्षक झारखंड के गुमला के किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे तो उनकी कक्षा का कोई विद्यार्थी उडांव भाषा का प्रयोग अपने घर पर अपने माता पिता के साथ बातचीत के दौरान करते होंगे | जबकि इसी जगह वह अपने दोस्तों के साथ पंचपरगतियाँ (स्थानीय बोली) में और कक्षा में हिंदी में बात करेगा |

एक शिक्षक के तौर पर हमें यह समझना होगा कि हमारी शाला में आने वाले बच्चे का यदि मानक हिंदी से कोई परिचय नहीं है तो यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि भाषा विकास के महत्वपूर्ण शुरुवाती पाँच वर्ष वह अपने आसपास बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा से समृद्ध वातावरण में गुजार कर आया है | एक शिक्षक

की भाषाई विविधता के संबंध में उसका व्यापक नजरिया इस सम्पदा को बनाए रखने में मददगार होता है जबकि भाषाई विविधता को एक बोझ और अतिरिक्त काम के रूप में देखने का नज़रिया इस सम्पदा को नुकसान पहुँचता है |

सन्दर्भ –

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ अनुसूचित भाषाएँ कहलाती हैं | प्रारम्भ में कुल 14 भाषाएँ ही इसमें शामिल की गई थी जबकि समय - समय पर हुए संविधान संशोधनों के बाद इस सूचि में 22 भाषाओं को स्थान मिला है | इसके अतिरिक्त कई राज्य अपनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं | यद्यपि ज्यादातर राज्यों में शिक्षण कार्य मुख्य रूप से दो ही भाषाओं में होता है – हिंदी व अंग्रेजी | हालाँकि गैर – सूचि की भाषाओं में भी पठन – पाठन का काम किया जा सकता है |

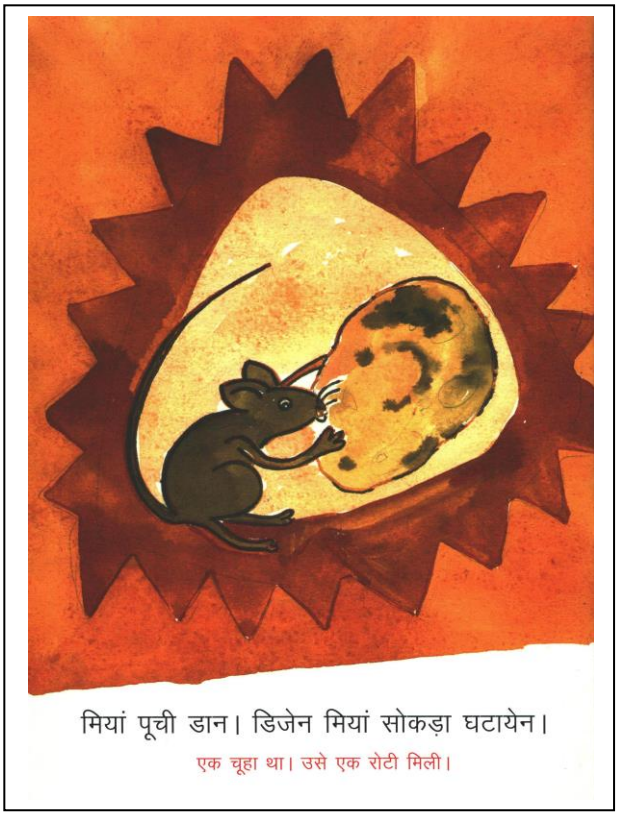

जैसा कि मध्यप्रदेश राज्य में भौगोलिक विविधता के साथ ही भाषाई विविधता भी देखने को मिलती है जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य में झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों / जिलों

में कई गैर सरकारी संस्थान राज्य सरकार के साथ मिलकर मातृभाषा में शिक्षण के प्रयास कर रही है | जिसमें क्षेत्र विशेष में उपयोग होने वाली भाषा और हिंदी भाषा का उपयोग कर कई कहानियों की किताबों का निर्माण किया गया है, जिसकी झलक आप यहाँ देख रहे हैं | इस प्रकार से होने वाले शिक्षण में शिक्षण का उद्देश्य मित्रवत माहौल को तैयार करना, दूसरी भाषा बोलने वाले सहपाठियों को 'गैर' नहीं मानना और और विभिन्न भाषाओं को उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण को सुचारू बनाना है |

1. बच्चे अपने परिवेश में एक से अधिक भाषाएँ सहजता से सीख लेते हैं, इसका क्या कारण है ?

---

2. आपकी कक्षा में जब आपके विद्यार्थी अपनी भाषा में जवाब देते हैं, उस समय आप किस तरह अनुभव करते हैं ? किन्ही दो उदाहरणों को याद करें और लिखें |

---

3. आपके विद्यालय में आने वाले अधिकांश बच्चे किस भाषा में अपनी बातों को कहने में सहज महसूस करते हैं ?

---

4. आपके द्वारा शिक्षण के दौरान कौन – कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है ? आपका यह प्रयास बच्चों को सीखने में किस तरह मदद करता है ?

विभिन्न दस्तावेजों में भी इसी सन्दर्भ को ध्यान में रख कर कई प्रमुख बातों को बताया गया है जैसे –

2001 की जनगणना में जनगणना विभाग ने मातृभाषा को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है – "मातृभाषा वह भाषा है जिसमें कि किसी व्यक्ति की माँ उससे बचपन में बात करती है | यदि माँ नहीं है तो घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होगी | यदि फिर भी कोई संदेह है तो मुख्यतः परिवार में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा मानी जायेगी |"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाग 2, 3 और 4 में "सबके लिए शिक्षा" को हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता बताया है | साथ ही यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मन्त्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर विद्यार्थी को, बिना किसी जात – पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो | इसी तरह यह शिक्षा नीति कहती है कि "अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे कि वे गैर – अनुसूचित जाति के लोगों के बरबर आ सकें | यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चार आयामों पर होना जरुरी है : ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में |"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों आदि के विद्यालय के लिए मध्यान्ह भोजन योजना, लेखन सामग्री, पुस्तकें और निः शुल्क शिक्षा के रूप में विशेष प्रावधान किये गए |

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 के अध्याय 3 – पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएँ और आकलन के खंड 3.1 "भाषा" में बाताया गया है कि " जब हम घर की भाषा (ओं) और मातृभाषा (ओं) की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस – पड़ोस की भाषा आदि आती है, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है | बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है | हम रोज़मर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं | कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है | वे न केवल उन भाषाओं को सही – सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं |"

इसी तरह यह भी बताया है कि "बहुभाषिकता, जो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भारत के भाषा – परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है, उसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है |" "द्विभाषा क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती है |

सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना किसी भी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है |"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुलभुत सिद्धन्तों में "बहुभाषिकता और अध्ययन – अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन" को शामिल किया गया है | इसे विस्तार देते हुए कुछ प्रमुख बातों को उभरा गया है –

1. जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा यह ग्रेड 8 और उसके आगे भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी |
2. शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा / मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण – अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा |
3. जैसा कि अनुसन्धान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, फाउन्डेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ) एक्सपोजर दिए जायेंगे |

मध्यप्रदेश के भाषागत विविधता वाले क्षेत्र व वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की चुनौतियाँ –

यूँ तो मध्यप्रदेश के अलग – अलग हिस्से में अलग – अलग भाषा बोली जाती है | जैसे बघेली, बुन्देलखंडी, बृज, मालवी, निमाड़ी, कोरकू, भीली, भिलाली, सहरिया, गोंडी और बैगा | परन्तु इन अलग – अलग बोलियों वाले क्षेत्रों में विशेष बात यह है कि यहाँ शासकीय विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिंदी है और कई अशासकीय शालाओं में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है |

जबकि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे अपने घरेलू परिवेश में एक से अधिक भाषाएँ सहजता से सीख लेता है | जिसके पीछे का मूल कारण है उस भाषा से लगातार संपर्क बने रहना | क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जब तक उसे सुनने और बोलने के भरपूर मौके नहीं मिलेंगे तब तक उस भाषा की समझ विकसित नहीं होगी | यही बात उन भाषाओं पर भी लागू होती है जिन्हें बच्चों को विद्यालय में सीखना होता है | यदि बच्चों को इनके प्रयोग के भी पर्याप्त मौके दिए जाएँ तो वे उन्हें भी सहजता से सीख सकते हैं |

हालाँकि बच्चे स्कूल की भाषा का उपयोग अपने घर में नहीं करते | इसके चलते वे कक्षा में बोलने से घबराते हैं और उनकी सम्प्रेषण क्षमता का विकास नहीं होता है, जिससे उनका शैक्षणिक विकास रुक जाता है | कक्षा की भाषा को न समझ पाने और न बोल पाने से वे कक्षा से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं और जिस कारण से ऐसे बच्चों का अलग ही समूह बन जाता है | आवश्यक है कि हम अपने बच्चों के मानसिक विकास हेतु एकभाषीय सीमाओं से ऊपर उठकर बेहतर शिक्षा और सामाजिक बदलाव की ओर प्रयास करें |

नीचे दी गई तालिका हमें यह समझने में मदद करेगी कि मध्यप्रदेश में कौन – कौन सी बोलियाँ किन क्षेत्रों में बोली जाती है |

मध्यप्रदेश की बोलियाँ	सम्बंधित क्षेत्र
बुन्देलखंडी	ग्वालियर, भिंड, अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, सिवानी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, टीकमगढ़
बघेलखंडी	रीवा, सतना,शहडोल, उमरिया, सीधी, अनूपपुर
बृजभाषा	भिंड, मुरैना, ग्वालियर
निमाड़ी	बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, देवास, इंदौर, झाबुआ, धार के कुछ हिस्से
मालवी	सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, देवास, इंदौर, झाबुआ
भीली	रतलाम, धार, झाबुआ, खरगौन, अलीराजपुर
गोंडी	बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवानी, बलाघाट, मंडला, होशंगाबाद
कोरकू	बैतूल, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, खरगोन
सहरिया	श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर
बैगा	मंडला, शहडोल, बालाघाट

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को सार्वभौम शिक्षा और कमजोर वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था करना शामिल करना है | इसी तरह अनुच्छेद 350 (क) में, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं | चूँकि राज्य की राजभाषा से भिन्न अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएँ हैं, इसलिए यह सिफारिश की गई है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को कम से कम कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए |

अलग – अलग आयोगों, पंचवर्षीय योजनाओं, नीतियों और आयोगों की सिफारिशों के बावजूद भी यदि हम आज भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तक और वहाँ के बच्चों का अधिगत स्तर जाँचते हैं तो हम पायेंगे कि यह दोनों ही अलग है और उसका प्रमुख कारण है, मानक भाषा में लिखी गई कोई बात अथवा शब्द और बोली गई भाषा अथवा शब्द के मायनों का अलग – अलग होना |

इस बात को इस एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं और झाबुआ जिले में बोली जाने वाली तीन भाषाओं भीली, भिलाली और पटलिया में किसी एक ही वाक्य को किस तरह से बोला जाता है इसे समझते हैं | जैसे –

भीली – सीतरां लेवा जाइरियां |

भिलाली – सीतरा लेवण जांईकी |

पटलिया – पुतलियाँ लेणे जाणे मंडरियाँ |

चलिए अब बात करते हैं इस लिखे हुए से हम क्या समझ पा रहे हैं ? आप तीनों वाक्यों को पढ़कर अनुमान लगाइए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है ?

अभी आपने ऊपर लिखे वाक्य को पढ़कर जो अनुमान लगाया है उसे जाँचते हैं कि वह सही है या नहीं – ऊपर लिखे तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है "कपड़े लेने जा रहे हैं"|

इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय जिस चुनौती का सामना हमने किया उन्ही चुनौतियों का सामना बच्चे भी हमारी शाला में करते हैं | कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार है -

सम्प्रेषण में एक भाषा का उपयोग होना - हम बच्चों से जिस भाषा में संवाद करते हैं और बच्चे जिस भाषा को समझते हैं उन दोनों में ही बड़ा अंतर है | शाला के शुरूआती दिनों में यह अंतर एक गहरी खाई के सामान होता है जहाँ अपने घर में बोली जाने वाली भाषा को समझते हैं और शिक्षक हिंदी भाषा का प्रयोग करता है | शाला के शुरूआती सालों में ही बच्चा यदि अपने आप को विद्यालय के भय से मुक्त कर लेता है तो उसके आने वाले सालों में वह शाला से सामंजस्य स्थापित कर लेता है | परन्तु सम्प्रेषण की भाषा में अंतर होने के कारण इन्ही दिनों में बच्चे अपने आप को शाला से जोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं | जिसका परिणाम हम उनके शाला त्यागी के रूप में भी देखते हैं |

ऐसी स्थिति में आवश्यक हैं कि शिक्षक बच्चों की भाषा से पहले परिचित हों, यदि वे बच्चे की भाषा को नहीं समझते हैं तो बच्चों के साथ मिलकर, समाज जन से मिलकर, डाईट व्याख्याताओं से मिलकर या अन्य भाषा से सम्बंधित विशेषज्ञों से उसे सीखने में न झिझकें | शिक्षक के यह प्रयास बच्चे को कक्षा से जोड़ने, शिक्षक के साथ मधुर बनाने / भय मुक्त संबंध बनाने और नियमित शाला आने में मदद करता है |

बच्चे की मातृभाषा में शिक्षण न होना – एक अन्य चुनौती है शाला में होने वाले शिक्षण और पाठ्यपुस्तक का मानक हिंदी में लिखा होना | जैसा कि कई दस्तावेजों की सिफारिशों को हमने पढ़ा और समझा है कि बच्चे का शुरूआती शिक्षण (कक्षा 1 व 2 अथवा प्राथमिक शिक्षण) हमेशा उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए | जबकि हम देख सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे पाठ्यपुस्तकों से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं | जिसका प्रमुख कारण है शुरूआती कक्षाओं में पाठ्यक्रम से अपनापन महसूस न होना | इस बात को एक उदाहरण के

साथ समझते हैं, जब हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते है तो क – कमल का होता है पर क्या हमने यह जानने का प्रयास किया है कि जो बच्चा पटलिया भाषा को समझता है उसकी दृष्टि और सन्दर्भ में क्या कमल कहीं भी स्थान रखता है | जबकि पटलिया में कमल के फूल को "गंगोड़ का फूल" कहते हैं | इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बच्चे की भाषा से शिक्षण की शुरुआत करना चाहिए और फिर धीरे – धीरे उसे मानक भाषा की ओर धकेलना चाहिए | इस स्थिति से निपटने के लिए यदि पाठ्यपुस्तकों को द्विभाषी संवाद के साथ तैयार किया जाता है तो बच्चों के लिए यह मातृभाषा से संवाद की भाषा अथवा राजकीय भाषा को समझने में बहुत उपयोगी होगी |

बच्चे के अस्तित्व और संस्कृति पर सवाल – कक्षाओं में जब बच्चे की भाषा को उपयुक्त स्थान नहीं मिलता तो न सिर्फ उसके बातचीत के मौके बंद होते हैं बल्कि एक तरह से उसके अस्तित्व पर सवाल उठ जाता है | बच्चे खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि अब तक अपनी भाषा से अभी तक हमने दुनिया को समझा, वह सही था या नहीं | यह सवाल उन्हें उनकी भाषा और संस्कृति, दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी दुनिया पर सवाल खड़े होते दिखाई देते हैं , जिससे बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं |

शिक्षण की भाषा से कम संपर्क – जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा को अपने घर पर नहीं बोलते हैं | कई बार वे अपने दोस्तों के साथ भी विद्यालय में बोली जा रही भाषा को आम बातचीत में उपयोग नहीं करते हैं जिस कारण उनमें विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा को कक्षा शिक्षण के दौरान बोलने में झिझक बनी रहती है | जबकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के संपर्क में (सुनना और बोलना) रहना बहुत जरुरी है | इसलिए आवश्यक है कि जब बच्चे कक्षा में कुछ बोल रहे हों तो उन्हें उसके पर्याप्त अवसर देने चाहिए | इस दौरान यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि बच्चा अपनी मातृभाषा और विद्यालय की भाषा को मिलाजुला कर बोल रहा हो तो उसके इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए न कि उसे दंड दिया जाना चाहिए |

परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पलायन – ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के संसाधनों का अभाव रहता है जिसके कारण वहाँ अक्सर पलायन की स्थिति बनी रहती है | परिवारों द्वारा किया जाने वाला यह पलायन उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करता है | परन्तु यह पलायन बच्चे को शिक्षा से दूर धकेलने में अहम् भूमिका भी निभाता है | चूँकि पलायन पर जाने वाले लोग अपने पूरे परिवार को साथ लेकर जाते हैं और इस दौरान बच्चे का विद्यालय, शिक्षक और विद्यालय में बोली / सीखी गई भाषा से संपर्क टूट जाता है इस कारण जब बच्चा पलायन से वापस लौटकर विद्यालय आता है वह अपने छूटे हुए पाठ्यक्रम और अन्य बच्चों द्वारा किया जाने वाला सम्प्रेषण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर अपता है जिस कारण वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं | पलायन के दौरान इन बच्चों का संपर्क पलायन वाले स्थान में बोली जाने वाली भाषा से भी होता है जिससे भाषा का अपभ्रंश / विकृत स्वरुप हमारे सामने आता है |

झाबुआ जिले में ही इस तरह की भाषाई विविधता आम बोलचाल में देखेने मिलेगी | इस जिले के कुछ हिस्से में भीली बोली जाती है, कुछ में भिलाली और कुछ में पटलिया | इन तीनों भाषाओं में भिलाली भाषा भीली और पटलिया से एक दम अलग है | जबकि कई बार तीनों ही भाषओं के बच्चे एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ने के लिए भी आते हैं |

बातचीत के प्रश्न –

1. आप अपने विद्यालय में बहुभाषिकता भाषा विकास में कैसे सहायक है ?

---

2. सीखने के दौरान बच्चों को आने वाली किन्ही तीन चुनौतियों को लिखें और उन्हें आपने कैसे कम किया उसे चरणबद्ध तरीके से बताइए |

भाषाई और गैर – भाषाई शिक्षकों की शिक्षण के दौरान चुनौतियाँ –

शिक्षक चाहे भाषाई हों या गैर भाषाई यदि बच्चों का स्तर शिक्षक के चाहे गए स्तर के बराबर नहीं होता है तो वहाँ शिक्षक का पढ़ाने में कोई रुझान नहीं होता है | न ही शिक्षक का यह प्रयास होता है कि वह बच्चों के स्तर तक जाकर उनकी समस्याओं को समझें |

शिक्षकों की उनके मुख्य कार्य के प्रति अरुचि उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ आदिवासी बाहुल्य के बच्चे आते हैं और उन्हें मानक भाषा (हिंदी) बोलने और समझने में परेशानी आती है | इस तरह के विद्यालयों में की प्रमुख समस्या है बच्चों का अमानक (मातृभाषा) भाषा से सतत संपर्क और मानक (हिंदी) भाषा का कम

प्रयोग | , पहली समस्या ऐसे बच्चे जो सुने हुए शब्द का उच्चारण गलत करते हैं और जैसा उच्चारण वे करते हैं वैसा ही लिखते हैं |

यह समस्या उन विद्यालयों के लिए ज्यादा जटिल होती हैं जो कि माध्यमिक विद्यालय हैं क्योंकि यहाँ आने वाले बच्चे अपने शुरूआती 5 वर्ष किसी दूसरी प्राथमिक शाला में व्यतीत करके आए हैं | इन विद्यालयों में बच्चों के पढ़ने, उनके उच्चारण और उनके लिखने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जब ये बच्चे माध्यमिक शाला में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के शिक्षकों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आते हैं | यदि इन शालाओं के शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ श्रुतलेख करवाया जाता है तो बच्चों के लिखे हुए पढ़ना एक प्रमुख चुनौती होती है | परन्तु यह मामला इतना भी एक तरफा नहीं है क्योंकि जिन कक्षाओं में भाषा की बुनियाद पड़नी चाहिए वे शिक्षकों की प्राथमिकता में गौण होती हैं |

ज्यादातर कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ पाठ्यपुस्तकों का उपयोग ही किया जाता है जो बच्चों को भाषा विकास के विविध प्रिंट सामग्री से सीखने और समझने के अवसरों को सीमित कर देता है | साथ ही यह भी देखा गया है कि शिक्षक निर्देश की भाषा में ज्यादातर मानक भाषा तक सिमट कर रह जाते है | ऐसे बहुत ही कम शिक्षक हैं जो नवाचारों को करने से नहीं डरते हैं और वे जोखिम भी उठाते हैं | पाठ्यपुस्तक को बच्चों की भाषा / स्थानीय भाषा में समझते-समझाते हुए शिक्षण करते हुए कम शिक्षक दिखाई देते हैं |

इन विद्यालयों के शिक्षक कुछ पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित होते हैं | वे सोचते हैं कि बैगा, कोरकू, भीली बोली के बच्चे जिनकों हिंदी ठीक से बोलना और पढ़ना नहीं आती है वे अंग्रेजी,गणित और विज्ञान क्या पढ़ेंगे | उनमें इन विषयों का समझने का सामर्थ्य ही नहीं है | इस तरह की सोच शिक्षक के शिक्षण, उनके व्यवहार, और नज़रिए को प्रभावित करती है |

उदाहरण - शिक्षक और छात्र की भाषाई दूरी के कारण कई व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं | हरदा जिले के एक जन शिक्षक श्री सुरेन्द्र उपाध्याय ने आप – बीती सुनाते हुए बताया कि एक बार जब वह शाला अवलोकन के लिए गए थे तब वे एक कक्षा में गए और वहाँ पहली कक्षा का एक बच्चा मुझसे कुछ कह रहा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है | कुछ देर बाद उस बच्चे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया | दूसरी घटना स्टाफ रूम की है | मैं शिक्षकों के साथ बैठा था, एक बच्चा वहाँ छुट्टी मांगने आया | उसने कई बार बताने का प्रयास किया कि उसको छुट्टी क्यों चाहिए परन्तु मैं समझ नहीं पाया | तभी पास बैठे कोरकू शिक्षक (जो किसी काम से दूसरे गाँव से आए थे) ने मुझे बताया, “सर, बच्चे की दादी अम्मा की मृत्यु हो गई है | इसका भाई बुलाने आया है | इसे घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए |” तब मैंने उस बच्चे को छुट्टी दी | शिक्षकों से बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि कोरकू बच्चों को जहाँ हिंदी अथवा हिंदी में किसी भी अवधारणा को सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोरकू भाषा में सिखाने पर बच्चे उसी अवधारणा को जल्दी समझ लेता है | गोंडी, कोरकू बोलने वाले गुरूजी लोगों से पालक भी घुलमिल जाते हैं | वे अपने बच्चों की कठिनाइयों के बारे में उनसे बात करने में हिचकते नहीं | परन्तु हर जगह गोंडी, कोरकू में बोलने वाले शिक्षक उपलब्ध हो ऐसा संभव नज़र नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक गैर – भाषाई / गैर – आदिवासी हैं | शिक्षक बच्चों और पालकों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं |

बच्चों को नई भाषा सिखाई जाए यहाँ तक तो बात समझ में आती है | लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि शिक्षक, बच्चों की मातृभाषा को लेकर व्यंग्य करने लगते हैं जिसका बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है | कोरकू समुदाय के एक बच्चे ने अपना शिक्षक के साथ हुई एक घटना को साझा करते हुए बताया कि सर, हमारी भाषा का मज़ाक उड़ाते हैं | एक दिन प्रार्थना के समय, सर ने पूछा कि तुम्हारी भाषा में 'लाइन सीधी करो' को कैसे बोलते हैं ? एक बच्चे ने जवाब दिया – पोल्ला होकर बोची में देख रे | ये सुनते ही वे जोर – जोर से हँसने लगे | फिर उन्होंने कहा, "सीधे खड़े हो जाओ नहीं तो बोची में एक दूंगा|" आदिवासी बच्चों ने गर्दन नीचे कर ली |

भाषाई विविधता की चुनौती से निपटने में पुस्तकालय की आवश्यकता, महत्व और नीतिगत सुझाव –

2007 में शिक्षाविद कृष्ण कुमार जी ने पुस्तक संस्कृति की जरूरत पर दिए एक भाषण में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि, "यदि इतने प्रयासों और प्रावधानों के बाद भी हमारी स्कूली व्यवस्था में पुस्तकालय नहीं है, तो हो सकता है कि हमारी व्यवस्था को दरअसल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है"|

पाठ्यपुस्तक पर टिकी हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें स्वयं की अभिव्यक्ति को निम्न अथवा शून्य प्राथमिकता देते हुए परीक्षा को सर्वोपरी स्थान दिया गया है, वह शायद पुस्तकालय का महत्त्व और उसका उद्देश्य नहीं समझ पा रही | जबकि पुस्तकालय के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हैं, बल्कि वे एक – दूसरे के पूरक हैं |

पुस्तकालय और विद्यालय दोनों के ही केंद्र में 'पढ़ना' महत्वपूर्ण है जो मात्र लिखी / छपी सामग्री को पढ़ भर लेना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है | जब हम पढ़ने के अर्थ की बात करते हैं तो पढ़ने का मतलब ऐसी प्रक्रियाओं से है जिसमें विवेचना, समालोचना, संबंध, विश्लेषण इत्यादि, यह सब एक साथ काम कर रही हों | पुस्तकालय के द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था / विद्यालय में इन संभावनाओं के अवसरों को सशक्त किया जा सकता है | पुस्तकालय का नियमित उपयोग न सिर्फ बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करेगा बल्कि उन्हें एक विवेकशील, अपना मत बनाने वाले, अपनी बात को दृढ़ता से व्यक्त करने वाले, समालोचना करने वाले व्यक्ति के रूप में भी विकसित करेगा | आवश्यकता बस इतनी है कि हम पुस्तकालय को विद्यालय के अभिन्न अंग की तरह देखें और उपयोग करें |

इसी सन्दर्भ में शिक्षाविद गिजुभाई ने पुस्तकालय को एक शिक्षा पद्धति के रूप में देखा जिसे उन्होंने पुस्तकालय पद्धति कहा | उनके लिखे लेख "पुस्तकालय पद्धति" में उन्होंने लिखा है, " विद्यालय में लोग जानकारी के साधन भर पाते हैं जबकि पुस्तकालय में जाकर वो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | एक अच्छा पुस्तकालय कई शिक्षकों की कमी पूरी करता है | शिक्षक की तरह पुस्तकालय, विद्यार्थियों को न तो धमकाता है, न उन्हें अनुशासित करने की कोशिश करता है, न मिथ्या स्पर्धा में प्रवेश कराता है, और न ही परीक्षा का भय उत्पन्न करता है |

फिर भी वह पल – पल में अपने पास आने वालों को प्रेम – पूर्वक, विनय – पूर्वक और रूचि पूर्वक पढ़ाता रहता है" |

पुस्तकालय हमारी शिक्षा व्यवस्था का अहम् हिस्सा रह चुका है और भारत में कई आयोगों, नीतियों और योजनाओं ने समय – समय पर इसके नियमित संचालन और विद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में इसे शामिल करने के सुझाव दिए हैं | लेकिन आज भी विद्यालयों में हम इसे चालू हालत में नहीं देख सकते हैं | जबकि दिन – प्रति – दिन के विद्यालयी जीवन में पुस्तकालय विद्यार्थियों को सभी भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करने में मदद करता है, जिससे वे भाषा का प्रभावी एवं संदर्भयुक्त प्रयोग करना शुरू कर सकें | अलग – अलग समय पर पुस्तकालय के बारे में विभिन्न सुझाव निम्नलिखित हैं –

विभिन्न वर्षों में प्रमुख आयोग/नीति/दस्तावेज/प्रयास	मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	संग्रह के विकास पर विशेष ध्यान और सभी की पुस्तकालय तक पहुँच हो	पुस्तकालय के सुधार और स्थापना का अभियान	
आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990	पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता कम करने की सिफारिश और पुस्तकालयों द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की बात	
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005	स्कूल में पुस्तकालय को एक जरुरी घटक माना और उसके द्वारा शिक्षा में नवीनीकरण की बात	पुस्तकालय में पढ़ने का समय देने की बात और पुस्तकें घर ले जाने की सिफारिश	
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	प्रत्येक विद्यालय में एक – एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिका एवं सभी संबंधित विषयों की पुस्तकों के साथ – साथ कहानी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेगी	
पढ़े भारत – बढ़े भारत 2014	बच्चों का किताबों के साथ सार्थक एवं सामाजिक रूप से संबंध बने व अन्य अवसर हों जिनमें पढ़ने – लिखने के लिए सक्रीय व अर्थपूर्ण ढंग से किताबों पर आधारित गतिविधियाँ हों	
समग्र शिक्षा अभियान 2018	'पढ़े भारत – बढ़े भारत' को सहयोग देते हुए 5000 – 20000 राशि की लाइब्रेरी ग्रांट	संग्रह विकसित करने और लाइब्रेरी से जुद्दाव बढ़ाने पर जोर	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	स्कूल और सार्वजनिक पुस्तकालयों (सरकारी) को बढ़ावा	पढ़ने व संवाद करने की संस्कृति को विकसित करने की जरूरत	पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों की किताबें शामिल हों	शिक्षक सक्रीय रूप से बच्चों को किताबें पढ़ने और उन्हें घर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे	पुस्तकालय के आसपास गतिविधियाँ जैसे – कहानी, रंगमंच, समूह में पढ़ना – लिखना और बच्छकों के द्वारा लिखी गई सामग्री व कहा का प्रदर्शन	

शाला प्रमुख की सीखने – सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव हेतु अपेक्षित भूमिका –

यह मॉड्यूल शाला में पदस्थ हर उस शिक्षक के लिए जरुरी है जिसका संबंध उस शाला से, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की प्रगति से और अपने शिक्षण कार्य से है | जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमारी शाला में आने वाले बच्चे को हमें उसकी मातृभाषा के साथ ही स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जब वह बच्चा हमारी शाला में आता है तो वह अपना वृहद् अनुभव, शब्द भण्डार और भाषा ज्ञान साथ लेकर आता है | यदि हम उस बच्चे को उसके उसी ज्ञान और अनुभव के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो उस बच्चे का विद्यालय में ठहराव तो होगा ही; वह शिक्षा की मुख्य धारा से भी जुड़ा रहेगा |

इसी से जुड़ती बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 के अध्याय 2 – 'सीखना और ज्ञान' के उपबिंदु 2.2 'विद्यार्थियों को सन्दर्भ में रखना' में भी बताई गई है कि "बच्चे उसी वातावरण से सीख सकते हैं जहाँ उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है | हमारे स्कूल आज भी सभी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करवा पाते | सीखने का आनंद व संतोष के साथ रिश्ता होने की बजाए भय, अनुशासन व तनाव से संबंध हो तो यह सीखने के लिए अहितकारी होता है | आज यह आवश्यक है कि हमारे सभी बच्चे यह महसूस करें कि वे सभी, उनका घर, उनका समुदाय, उनकी भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण हैं | इन्हें अनुभव के ऐसे संसाधनों के रूप में देखा जाए जिन्हें विद्यालय में जाँचा तथा विश्लेषित किया जाना है; उनकी विविध क्षमताओं को मान्यता मिले; यह मन जाए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है और सभी की ज्ञान, एवं कौशलों तक पहुँच हो और व्यस्क समाज उन्हें सबसे अच्छा करने योग्य माने | ज्यों – ज्यों हमारे स्कूल का विस्तार हो रहा है और ज्यादा संख्या में समाज के सभी वर्गों के बच्चों को हम उनमें शामिल के रहे हैं, हम इन आवश्यकताओं की महत्ता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हो रहे हैं |"

थोड़ा खुद से बात करें –

1. शाला प्रमुख के रूप में मेरा कितने वर्षों का अनुभवों है ----------
2. इन वर्षों में मैंने कितने शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन किया है ----------
3. इस अवलोकन में मैंने किन – किन विषयों का अवलोकन किया है ----------
   ----
4. कक्षा अवलोकन के बाद कितने शिक्षकों से उनकी शिक्षण प्रक्रिया को बदलने या उसमें सुधार करने के सुझाव दिए हैं ----------
   ----
5. दिए गए कुछ सुझावों को याद करके लिखें ----------

---

6. सुझाव देने के बाद क्या कभी फिर से उन्ही शिक्षक की कक्षा का अवलोकन किया है ----------
7. क्या कक्षा अवलोकन के बाद उस कक्षा के किसी बच्चे से उस दिन की कक्षा में क्या सिखा या क्या समझ में आया ; यह जानने का प्रयास किया ----------
8. यदि उक्त कामों में से मैंने कोई काम नहीं किया या कुछ किये पर पुरे नहीं किये हैं तो मुझे अब क्या करना है उसे अपनी योजना के रूप में दर्ज कीजिये----------

---

उक्त पैराग्राफ़ और सवाल एक शाला प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की ओर इशारा करता है क्योंकि शाला प्रमुख होना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों का सीखना | यदि हमारी शाला में बच्चे नियमित नहीं आते हैं तो यह स्वयं से करने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उनकी शाला में क्या – क्या कमियाँ हैं जिस कारण बच्चे शाला नहीं आते हैं | और यदि बच्चे नियमित शाला आते हैं पर उनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा अनुरूप नहीं है तो यह महत्वपूर्ण होने के साथ ही उस शाला और शाला प्रमुख के लिए चिंतनीय सवाल है | यह सवाल उस समय और भी गंभीर रूप ले लेता है जब हमारी शाला में बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं जिनकी भाषाएं अलग-अलग रहती हैं और उनके उच्चारण में उनकी मातृभाषा ज्यादा प्रभावी होती है |

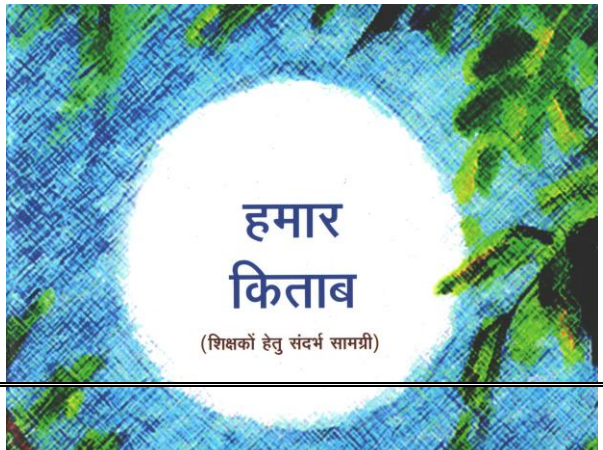

कोठारी आयोग के अनुसार, "भारत में हम जिस प्रकार की स्थिति देखते हैं, उसमें यह शिक्षा – प्रणाली की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को निकट लाने और इस प्रकार एक समतापूर्ण तथा एकीकृत समाज के आविर्भाव में सहायक हो |"

इसलिए एक शाला प्रमुख के रूप में यह देखना कि उनकी शाला में सीखने – सिखाने की प्रक्रिया में कितने बच्चे अपने आप को शिक्षक से जोड़ पा रहे हैं, यह अवलोकन करना होगा | यदि बच्चे अपने आप को शिक्षक के पढ़ाने से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यह विश्लेषण करना कि सिखाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव किये जाएँ जिससे बच्चा अपनी कक्षा अनुरूप अधिगत स्तर को प्राप्त कर सके |

समेकन -

यदि भाषा सम्पूर्ण शिक्षा – प्रणाली का केंद्र – बिंदु है तो बहुभाषी कक्षा क्षमताओं एवं संभावनाओं का खजाना है | जहाँ शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान उन चुनौतियों को समझना और उसे हल करना सीखता है जिसे वह स्वयं के व्यवसायिक पाठ्यक्रम को पढ़ने और पूरा करने के दौरान भी नहीं सीखता है | इसलिए एक शिक्षक / प्रमुख शिक्षक के रूप में हम जितनी जल्दी अपनी शैक्षणिक भूमिका को समझें, उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा |

इंसान के लिए एक साथ कई भाषाएँ सीखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है | यही कारण है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ रहने वाले लोग एकभाषीय नहीं बल्कि बहुभाषीय मिलते हैं | हम जिस समाज / समुदाय में रहते हैं वहाँ रोजमर्रा की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में मिश्रित भाषा का प्रयोग एक सामान्य चलन हो गया है | इसी तरह एक बहुभाषीय कक्षा भी, समाज का ही अभिन्न अंग है जो कि भाषाई विविधता के सामान्य परिदृश्य को उभारती है |

जहाँ कक्षाएँ बहुभाषीय हैं, वहाँ शिक्षकों की भागीदारी एवं व्यवहार और भी अहम् बन जाता है | क्योंकि शिक्षकों को सबसे पहले अपने स्वाभाविक स्वभाव को बदलना होगा अथवा कम करना होगा - जैसे तानाशाही हावभाव, अत्यंत भयभीत करने वाली उपस्थिति, स्वयं को हमेशा ज्ञान देने वाला, स्वयं को हमेशा सही सिद्ध करने वाला व्यवहार, बच्चों की बातों / जवाबों को न सुनना इत्यादि |

इसलिए जहाँ बहुभाषाई कक्षाएँ है वहाँ बच्चों के मन से संकोच को दूर करना तथा बच्चों के लिए सहज वातावरण, जिसमें बच्चे स्वयं को सहजतापूर्वक व्यक्त कर सकें एवं जो करना चाहें कर सकें, तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास करना है | साथ ही शिक्षक का दायित्व विद्यार्थी को ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना भी है | शिक्षण के दौरान बच्चों से होने वाली त्रुटियों को स्वाभाविक रूप से लिया जाए, न

कि ऐसी गलती के रूप में हम उसे देखें जिसे दंड के जरिये ही सुधारना अनिवार्य हो | क्योंकि दंड बच्चे में मन में सीखने की इच्छा को धीरे – धीरे कम करता जाता है |

बच्चा जिस भाषा का प्रयोग घर में या आम बोलचाल में करता है, विद्यालय में उसके लिए वह दुर्लभ हो जाती है | पाठ्यक्रम में अपनी भाषा और परिवेश को न पाकर उनकी कठिनाई और भी बढ़ जाती है | पाठ्यपुस्तकों की भाषा भी आदिवासी बच्चों की भाषा से कोसों दूर है | फलतः पूरी शिक्षण प्रक्रिया बच्चों को बोझिल लगने लगती है | शिक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं | परन्तु विद्यालय के अंदर बच्चों को अपनी भाषा के प्रयोग की आज़ादी नहीं है | इन स्थितियों का दूरगामी असर आदिवासी बच्चों की सोच और व्यक्तित्व पर पड़ता है | वे सोचने लगते हैं कि हमारी भाषा और जीवनशैली ही ख़राब है | इन स्थितियों को किसी मानक भाषा के दबाव में स्थानीय भाषा के खात्मे की शुरुआत कहा जाएगा ?

बहुभाषावाद का कक्षा में एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि सीखने के मूल में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विशेषकर तब जब सीखना – सिखाना उस भाषा में हो जिसे समझने में आसानी होती है | इसलिय प्रथम भाषा में जितना अधिक सीखना – सिखाना होता है, उसके शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं |

हम सभी ने शिक्षण के दौरान अनुभव किया होगा कि जब हम विद्यार्थी के स्तर तक जाकर और जिस भाषा को बच्चे जानते है अथवा जिस भाषा में वह सहज महसूस करते हैं, उस भाषा में यदि शिक्षण करते हैं तो वे सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं |

यही सिद्धांत शिक्षकों पर भी लागू होता है, क्योंकि गैर भाषाई शिक्षक के लिए पहला कार्य उस भाषा बोलना और समझना जरुरी है, जिसे बच्चे समझते हैं | हालाँकि राष्ट्रीयकृत भाषा को समझने, बोलने और उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक मानकीकृत भाषा का उपयोग भी शिक्षण के दौरन करें |

सन्दर्भ सूची –

1. बच्चों की भाषा और अध्यापक – प्रो. कृष्ण कुमार
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 – अध्याय 1, 2 व 3
3. नवीन शिक्षा नीति, 1986, 2020
4. कक्षा में बहुभाषिकता और शिक्षक की भूमिका – अब्दुल कलाम, अज़ीम प्रेमजी फाउन्डेशन, धमतरी, छतीसगढ़
5. बहुभाषिकता : एक कक्षा स्रोत – प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री (अनुवाद – निशि तिवारी)
6. दलित आदिवासी और स्कूल_मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में कुछ अनुभव – समावेश
7. स्कूली भाषा – शिक्षण में द्विभाषा नीति _ एलीथिया डी.रोज़ारियो (अनुवाद – भारत त्रिपाठी)

8. भाषा एवं भाषा शिक्षण_विद्या भवन सोसायटी
9. www.tribal.gov.in
10. www.mpinfo.org/MPinfoStatic/hindi/factfile/janbaiga.asp
11. Images by _ NEG Fire (New Education Group)

लेखक का नाम - ज्योति भाटिया

स्वतंत्र सलाहकार,(पूर्व यूनिसेफ शिक्षा सलाहकार)

जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश

फोन नम्बर - 9977464977

ईमेल – jyoti7781@yahoo.com